उत्तराखण्ड विधान सभा के 11 मार्च, 2015 से 21 मार्च, 2015 तक चले अधिवेशन के दौरान निष्पादित हुए कार्य का सारांश

उत्तराखण्ड की तृतीय विधान सभा का वर्ष 2015 का प्रथम सत्र 11 मार्च, 2015 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारम्भ हुआ तथा 21 मार्च, 2015 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। सत्र में सदन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार एवं पारण आदि मुख्य कार्य निष्पादित किये गये। सत्र में कुल मिलाकर 9 उपवेशन हुए तथा सत्र के दौरान मा0 सदस्यों की औसत उपस्थिति 95% रही।

सत्र के दौरान सदन द्वारा दिवंगत मा0 सदस्य स्व0 श्री सुरेन्द्र राकेश, पूर्व सदस्य, उत्तराखण्ड विधान सभा स्व0 श्री बिहारी लाल, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं दिवंगत राज्य सभा की मा0 सदस्य स्व0 श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल को श्रृद्धांजली अर्पित की गयी। मा0 अध्यक्ष, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, मा0 नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी एवं उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के संसदीय दलों के नेताओं तथा अन्य सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की।

दिनांक 12 मार्च, 2015 को शोक सभा के उपरान्त सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित हुई।

दिनांक 13 मार्च, 2015 को मा0 सदस्य श्री नवप्रभात ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर चर्चा तथा पारण दिनांक 13 मार्च, 2015 को ही हुआ।

मा0 वित्त मंत्री ने दिनांक 16 मार्च, 2015 को वित्तीय वर्ष 2015–16 का आय–व्ययक प्रस्तुत किया जिस पर सामान्य चर्चा दिनांक 17,18 एवं 19 मार्च, 2015 को हुई तथा 19 एवं 20 मार्च, 2015 को अनुदानवार मांगों पर चर्चा एवं पारण हुआ। 20 मार्च, 2015 को उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 पुरःस्थापित हुआ और उस पर विचार एवं पारण हुआ। आय व्ययक चर्चा में 30 मा0 सदस्यों ने भाग लिया।

सत्र में 27 सदस्यों से प्रश्नों की कुल 710 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें अल्पसूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न सम्मलित थे। इनमें से 202 को तारांकित, 435 को अतारांकित तथा 17 को अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकार किया गया। सत्र के दौरान

कुल 299 प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये जिनमें से 82 तारांकित, 208 अतारांकित तथा 09 अल्पसूचित प्रश्न थे।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 के अर्न्तगत ध्यानाकर्षण की 108 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 59 स्वीकृत हुई, कार्य स्थगन की 102 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 30 को ग्राह्यता पर सुना गया। सुनने के पश्चात सभी अस्वीकृत हुईं। नियम 53 के अर्न्तगत 98 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 05 वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई एवं 05 केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई। नियम के निलम्बन कर चर्चा कराये जाने हेतु नियम 310 के अन्तर्गत कुल सूचनाएं 09 प्राप्त हुई। जिनमें से 7 सूचनाओं को नियम 58 के अन्तर्गत ग्राहयता पर सुना गया सुनने के पश्चात सभी अस्वीकृत हुई।

13 मार्च, 2015 को सचिव, विधान सभा ने घोषणा की कि निम्नलिखित विधेयक, जिन्हें विधान सभा द्वारा पारित किया गया था पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गयी तथा वे उत्तराखण्ड के वर्ष 2014–2015 के अधिनियम बन गए :–

क्र0सं0	नाम	दिनांक		वर्ष 2014 का अधिनियम सं0
		सदन द्वारा पारण	महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्ति	
1	भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011	16.03.2011	09.09.2014	24
2	उत्तराखण्ड विनियोग (2014–2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014	26.11.2014	02.12.2014	25
3	उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद विधेयक, 2014	27.11.2014	02.12.2014	26
4	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद विधेयक, 2014	27.11.2014	09.12.2014	27
5	उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014	25.11.2014	28.12.2014	28

6	उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद विधेयक, 2014	27.11.2014	30.12.2014	वर्ष 2015 का अधिनियम सं0 1
7	उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014	26.11.2014	30.12.2014	2
8	उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014	26.11.2014	30.12.2014	3
9	उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014	18.02.2014	07.01.2015	4
10	मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014	27.11.2014	07.01.2015	5
11	उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014	27.11.2014	07.01.2015	6

सत्रावधि में निम्न पत्र सदन के पटल पर रखे गये –

1. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2015
2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2015
3. ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243–झ (4) एवं अनुच्छेद 243–म (2) के अधीन तृतीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) (2011–2016) के प्रतिवेदन में अन्य संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्पष्टीकारक ज्ञापन
4. उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2014 के तृतीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

5. उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की लोकलेखा समिति (2014–15) का प्रथम प्रतिवेदन

सत्र के दौरान सभा द्वारा निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण किया गया –

1. उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015
2. उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015
3. उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015
4. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015
5. उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015
6. उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015
7. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015
8. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015
9. उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015
10. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015
11. उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015
12. उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015

दिनांक 17 मार्च, 2015 को मा0 पंचायती राज मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किये जाने का प्रस्ताव किया गया। विचारोपरान्त सर्व सम्मति से सदन द्वारा उक्त विधेयक को विधान सभा की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

दिनांक 21 मार्च, 2015 को मा0 मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 पर विचार का प्रस्ताव किया गया। इस पर विचार के दौरान 15 मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात मा0 सदस्यों की भावनाओं सन्दर्भ लेते हुए विधेयक सर्व सम्मति से वापस लिया गया।

महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन के पश्चात् दिनांक 21 मार्च, 2015 के उपवेशन की समाप्ति पर मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया।